

17



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 21, 2002/ज्येष्ठ 31, 1924

No. 285]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 21, 2002/JYAISTHA 31, 1924

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जून, 2002

सा.का.नि. 442(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2002 (2002 का 30) की धारा 1 को उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 21 जून, 2002 को, उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

[सा. सं. 1-6/99-स.डॉ.एन.]

अन एन. दास, सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st June, 2002

G.S.R. 442(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 1 of the Sugar Development Fund (Amendment) Act, 2002 (30 of 2002), the Central Government hereby appoints the 21st day of June, 2002 as the date on which the said Act shall come into force.

[F. N. 1-6/99-SDF]

R. N. DAS, Jr. Secy